

15 जुलाई, 2015 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में चर्चा हेतु कार्यसूची:-

| क्रसं | प्रश्न कर्ता का नाम | सम्बन्धित विभाग | प्रश्न/प्रस्ताव का विषय | वर्तमान स्थिति |
|---------------------------------------|--|---|---|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| गत बैठक कार्यवाही की अभिपुष्टि | | | | |
| 01 | श्रीमती प्रेमलता, मान्नीय सदस्या जिला परिषद कुल्लू | पुलिस अधिक्षक/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण प्रथम/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण द्वितीय | <p>प्रस्ताव संख्या:- 11/दिनांक 01.08.2011 1.लगवैली, दलीघाट सड़क तथा भूमतीर सड़क का कार्य पूर्ण करने बारे:-</p> <p>अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि लगवैली, दलीघाट सड़क 10 जून 2015 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। भूमतीर सड़क का कार्य प्रगति पर है जो कि लगातार मौसम की खराबी के कारण पूर्ण नहीं हो पाया, मौसम साफ होने के उपरान्त ही कार्य 30 अप्रैल 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।</p> <p>श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि ढालपुर में लगवैली चौक में सफेदे के पेड़ के साथ मेन रोड़ से लगवैली रोड़ तक स्लिप रोड़ का निर्माण किया जाए, जिससे लगवैली चौक में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 02 | समस्त पदाधिकारीगण | निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 | <p>प्रस्ताव संख्या:-24/दिनांक 01.08.2011 जिला परिषद कार्यालय में दो अतिरिक्त सेवादार के पद स्वीकृत किए जाने बारे:-</p> | उप सचिव पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीसीएच-एचबी0(15)3/2008-42318 दिनांक 25 मार्च, 2015 के अन्तर्गत अवगत करवाया है कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 01 निजी सचिव, 01 लिपिक व 01 सेवादार का पद स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में जिला परिषद में सेवादार के 01 से अधिक पद स्वीकृत करने का मामला विचाराधीन नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में सरकार के निर्देश हैं। अतः उपरोक्तानुसार जिला परिषद द्वारा पारित उपरोक्त प्रस्तावों की कार्यान्वयन रिपोर्ट से आप जिला परिषद की आगामी बैठक में यथानुसार अवगत करवाने की कृपा करें और उक्त प्रस्तावों को समाप्त करने हेतु मामला जिला परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करें। |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 03 | श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष, जिला परिषद् | माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -02/ अध्यक्ष, एल0ए0डी0सी0 एवं उपायुक्त कुल्लू/ समस्त छः विद्युत परियोजनाएँ के महाप्रबन्धक/ आदेशक गृह रक्षा सातवीं वाहिनी कुल्लू / स्टेशन फायर आफिसर, कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या 12/दिनांक 27.6.2012 अग्नि शमन केन्द्र खोलने बारे:-</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा समस्त विधायकगणों से तथा उपायुक्त महोदय कुल्लू एवं कुल्लू जिले में चल रही पन विद्युत परियोजनाओं से अनुरोध करते हुए अवगत करवाया गया कि विकास खण्ड नगर के पतलीकुहल, विकास खण्ड बन्जार, आनी तथा निरमण्ड में अग्नि शमन केन्द्र न होने के कारण आग लगने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जबकि इन क्षेत्रों में अधिक आबादी होने के कारण भी यहाँ पर अग्नि शमन केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। जब भी इन क्षेत्रों में किसी घर में आग लगती है तो आस-पास के सभी घरों को जला देती है।</p> <p>सदन में उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र ही एल0ए0डी0सी0 की बैठक में खण्ड स्तरीय बजट से अग्निशमन वाहन खरीदने एवं भवन निर्माण के लिये बजट का प्रावधान करवाए तथा स्थान व स्टाफ के लिए माननीय विधायक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है।</p> <p>उपायुक्त महोदय ने अवगत करवाया है कि, यदि प्रदेश सरकार द्वारा अग्निशमन केन्द्र की स्वीकृति के उपरान्त महा निदेशक (आरक्षी)-एवं-निदेशक अग्निशमन द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो लाडा के जिला एवं खण्ड स्तरीय बजट से अग्निशमन वाहन खरीदने एवं भवन निर्माण के लिये राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। पार्वती जल विद्युत परियोजना द्वारा जमा IADF के जिला स्तरीय शेयर में से मु0 4392500/- रू0 अग्निशमन वाहन खरीदने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 4.03.2015 द्वारा महा निदेशक (आरक्षी)-एवं-निदेशक अग्निशमन शिमला को जारी किए जा चुके हैं। भविष्य में अग्निशमन वाहनों को खड़ा करने, पानी व्यवस्था तथा कर्मियों के लिए आवास, बिजली की वायरिंग आदि के लिये लाडा के जिला शेयर से धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी।</p> <p>एलायन दुहांगन से आए हुए अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जनवरी माह में अग्निशमन विभाग मनाली के अधिकारियों द्वारा परियोजना कार्यालय में उक्त विषय पर चर्चा हुई थी। अग्निशमन विभाग द्वारा परियोजना को यह सूचित किया गया था कि अग्निशमन विभाग, अग्निशमन वाहन के बारे में परियोजना को एक पत्र प्रेषित करेगा परन्तु अभी तक अग्निशमन विभाग से इस सन्दर्भ में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा रोष प्रकट किया गया।</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए गए कि वे एलायन दुहांगन परियोजना को वाहन सम्बन्धित रिपोर्ट एक</p> | माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -02 द्वारा अग्निशमन केन्द्र बन्जार का उद्घाटन किया जा चुका है तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद किया गया। |
|----|---|---|---|--|

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | | सप्ताह के भीतर-भीतर प्रेषित करें ताकि परियोजना द्वारा वाहन का प्रावधान किया जा सके। | |
| 04 | श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद | माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार एवं लोक निर्माण विभाग मन्त्री / संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला / मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 | <p>प्रस्ताव संख्या:- 18/दिनांक 27 जून, 2012 भून्तर से मनीकर्ण-बरशैणी-नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फंडिंग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिंग करने बारे:-</p> <p>भून्तर से मनीकर्ण-बरशैणी-नकथान सड़क मनीकर्ण घाटी की एक सड़क है। यहाँ पर मनीकर्ण, खीरगंगा गर्म पानी के चश्में हैं जहाँ प्राकृतिक तौर पर आनाज पक्ता है। जहाँ गुरुद्वारा, राममन्दिर व धार्मिक पर्यटक स्थल हैं। इसके साथ घाटी में 40 हजार के लगभग आवादी रहती है। मनीकर्ण से बरशैणी तक एन0एच0पी0सी0 का रोड़ है को भी पी0डब्ल्यू0डी0 टेक ओवर करें तथा भून्तर से नकथान तक इस सड़क को पी0डब्ल्यू0डी0 सैन्ट्रल रिजर्व फंडिंग स्कीम में डालकर शीघ्र इसकी डवललेन, स्ट्रैचनिंग करवाएँ ताकि जनता की प्रतिदिन 4-4 घण्टे के जाम से राहत मिल सके।</p> <p>भून्तर में एन0एच0 का जो वेली पुल सब्जी मण्डी के साथ है। उस के निर्माण की सरकार को कोई योजना है। इस पुल के सिंगल फेस के कारण भून्तर में 1-1 घण्टे जाम लगा रहा है।</p> <p>सदन में सचिव जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 25 नवम्बर, 2013 की बैठक में प्राप्त उतर अनुसार संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला द्वारा अवगत करवाया गया है कि इस सम्बन्ध में इनके कार्यालय पत्र संख्या दिनांक 16.11.2013 द्वारा इन्होंने मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 को आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा रोष प्रकट करते हुए अवगत करवाया गया कि जब कि सरकार द्वारा भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं तो फिर कार्य में बाधा क्यों हो रही है ?</p> <p>मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला 171002 से सदन द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त योजनाओं का निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी निर्देश विभाग को देने की कृपा करें। सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे अपने मुख्य कार्यालय के समक्ष इस मामले को उठाए ताकि भून्तर से मनीकर्ण-बरशैणी-नकथान सड़क को सैन्ट्रल रिजर्व फंडिंग के तहत डवललेन स्ट्रैचनिंग की जा सके।</p> <p>अतः पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव में दी गई योजनाओं का निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी निर्देश विभाग को देने की कृपा करें। सदन में की गई मांग जनहित के लिए आवश्यक है।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 05 | श्री दिनेश सेन माननीय सदस्य जिला परिषद् | वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:- 03 /दिनांक 26.11.2012 कोठी फण्ड के सम्बन्ध में जानकारी देने बारे:-</p> <p>दिनांक 27.01.2015 को बचत भवन में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उपायुक्त महोदय ने यह आदेश पारित किया कि नगर परिषद, नगर ग्राम योजनाविभाग, कुल्लू वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुल्लू राजस्व विभाग मौके पर जाकर उन पट्टाधारको/सबलेटरों की सूचि बनायें वास्तव में क्या वही व्यक्ति दुकान चला रहें हैं जिनकी सूचि 2007 में बनाई थी ताकि यह पता चलें कि मौका पर Original Allotted/ Subletter काबिज है या नहीं। श्री दिनेश सेन जी को भी इस कार्य में भाग लेने को कहा गया। परन्तु दुकानदारों की सूचि अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>सदन में माननीय सदस्य जिला परिषद द्वारा रोष प्रकट करते हुए कहा गया कि उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी कुल्लू द्वारा आज दिनांक तक दुकानदारों की सूचि उपलब्ध करवाने हेतु बैठक का आयोजन क्यों नहीं किया गया जबकि दिनांक 27.1.2015 में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था कि वन मण्डल अधिकारी द्वारा दुकानदारों की सूचि उपलब्ध करवाने हेतु बैठक शीघ्र अति शीघ्र निर्धारित की जाए जिसमें कि माननीय सदस्य, श्री दिनेश सेन जी को भी बुलाया जाए। यह स्पष्ट करवाने की कृपा करें कि इस बैठक का आयोजन आज दिनांक तक क्यों नहीं किया गया ? कोठी फण्ड के अन्तर्गत स्थापित इन दुकानों का राजस्व रिकॉर्ड भी जिला परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाए।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 06 | अध्यक्ष/ उपाध्यक्षा जि0प0/ प्रेमलता ठाकुर,/ दिनेश सेन , श्री बुद्धि सिंह, सदस्य जिला परिषद | श्री कर्ण सिंह, माननीय विधायक बन्जार क्षेत्र/ पुलिस अधिक्षक महोदय/ उपायुक्त महोदय भू अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण परियोजना अधिकारी, पण्डोह | <p>प्रस्ताव संख्या:- 03 /दिनांक 06.03.2013 ख. अलेऊ, ब्राण, जटेहड़, पनारसा, छाकी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग की मुरम्मत करने बारे तथा टनल में बिजली की रोशनी की मात्रा बढ़ाने बारे तथा भून्तर पुल का निर्माण शीघ्र करने बारे:-</p> <p>अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह ने अवगत करवाया है कि अलेऊ, सड़क का कार्य प्रगति पर है। कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्राण, पनारसा, छाकी स्थान पर सड़क मुरम्मत का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जहाँ तक ब्राण की बात है उसका प्राक्कलन जोकि सड़क सुरक्षा के तहत आता है उस प्राक्कलन को स्वीकृति हेतु मन्त्रालय को इनके कार्यालय द्वारा स्वीकृति हेतु भेज दिया है। जैसे ही बजट का प्रावधान होगा कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा।</p> <p>भून्तर पुल की डी0पी0आर0 बनाई जा रही है। डी0पी0आर0 को बनाकर स्वीकृति हेतु मन्त्रालय को भेजा जाएगा तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>जिला मण्डी / अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पण्डोह मण्डी / अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल प्रथम/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल द्वितीय/ प्रबन्धक, लारजी विद्युत परियोजना, बन्जार</p> | <p>होने के पश्चात् जल्दी ही कार्य आरम्भ किया जाएगा।</p> <p>पुलिस अधिक्षक महोदय द्वारा भी अवगत करवाया गया है कि जिला कुल्लू की सड़कों पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि दुर्घटना की दृष्टि से अति संवेदनशील है जिस कारण पुलिस विभाग द्वारा कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया गया है। जिसकी लिस्ट जिला परिषद को प्रेषित की गई है। सदन में निर्णय लिया गया कि इस लिस्ट को लोक निर्माण विभाग को प्रेषित करें।</p> <p>उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि उन द्वारा जटेहड़ सड़क का दौरा किया गया तथा पाया कि जटेहड़ का मुरम्मत कार्य किया जा चुका है।</p> <p>श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि ओट-थलोट टनल में विद्युत की व्यवस्था उचित नहीं है। यह टनल एन0एच0 के अन्तर्गत आती है इसलिए वाहनों का यहाँ से भारी मात्रा में आना जाना होता है तथा अक्सर इस टनल में कई दुर्घटनाएँ भी हो रही हैं व दुर्घटना का मुख्य कारण टनल में बिजली की व्यवस्था उचित न होना है। यदि बिजली की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए तो दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है।</p> <p>श्री हितेश्वर सिंह जी द्वारा अवगत करवाया गया कि लारजी यातायात टनल लारजी परियोजना के अधीन है, इसका रख-रखाव और बिजली के बिल का खर्चा लारजी परियोजना के द्वारा उठाया जाता है। महोदय यातायात टनल आम तौर पर एकदम सीधी होती है। परन्तु क्यों यह Horse Shoe आकार की बनाई गई है। इस टनल को बनाने की स्वीकृति केन्द्रीय सड़क मन्त्रालय से आयी थी। परन्तु उसके मुताबिक इस टनल का निर्माण नहीं हो पाया है। इस टनल के दोनों ओर की सड़क एन0एच0 के पास है। परन्तु एन0एच0 ने टनल को अपने अधीन लेने से इन्कार कर दिया। महोदय साफ मौसम में टनल के बाहर बारिश नहीं होती है, परन्तु टनल के अन्दर बारिश जरूर होती है। इस टनल में सी0सी0टी0वी0 कैमरा भी नहीं लगे है। टनल के अन्दर कई बार हादसे भी हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता व यहाँ पर युवाओं की आए दिन पार्टियाँ होती है। यहाँ पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना अति आवश्यक है जिसे कि औट थाने से जोड़ा जाए।</p> <p>जनवरी, 2015 की बैठक में मान्नीय श्री कर्ण सिंह जी मान्नीय विधायक महोदय बन्जार द्वारा अवगत करवाया गया था कि लारजी टनल को असुरक्षित घोषित किया गया है, लेकिन वह यह अवगत करवाने की कृपा करें कि किन कारणों से इस टनल को असुरक्षित घोषित किया है तथा आज भी सारी की सारी गाड़ियाँ टनल से जाती हैं यदि कोई दुर्घटना टनल के अन्दर हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कृप्या यह स्पष्ट करने की कृपा करें। मान्नीय विधायक महोदय द्वारा आश्वासन दिलाया गया था कि पुरानी सड़क की मुरम्मत</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|
| | | | <p>की जाएगी जिससे वाहन उस सड़क से होते हुए जाए। महोदय आज दिनांक तक औट से लारजी का पुराना रास्ता ठीक नहीं हो पाया है जिसके लिए जिला परिषद से प्रस्ताव पारित करते हुए लोक निर्माण विभाग, मण्डल-1 को एन0एच0 से एक करोड़ की राशि भेजी गई थी लेकिन फिर भी यह सड़क बुरी तरह से खराब है। महोदय आपसे जानना चाहते हैं कि पुरानी सड़क की मरम्मत के लिए बजट का क्या प्रावधान है। डैम के चारों ओर कैंश बैरियर व जाले लगाने चाहिए, जिसका खर्चा परियोजना प्रबन्धन से लिया जा सकता है।</p> <p>अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग प्रथम व द्वितीय तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त कार्यों को शीघ्र पूरा करें तथा इसके अतिरिक्त परियोजना लारजी को निर्देश दिए गए कि वे टनल में विद्युत सम्बन्धित समस्या का समाधान भी, शीघ्र कर, इस कार्यालय को अवगत करवाए।</p> <p>इसके अतिरिक्त सदन में एन0एच0आई0 को निर्देश दिए गए कि वे फोर लेन सड़क की जिला कुल्लू से सम्बन्धित समस्त जानकारी से जिला परिषद सदन को अवगत करवाएँ।</p> | |
| 07 | समस्त पदाधिकारी गण | समस्त खण्ड विकास अधिकारी | <p>प्रस्ताव संख्या:- 12/दिनांक 06.03.2013 13वां वित्तियोग के निर्माण कार्य आरम्भ पूर्व कार्य योजना स्थल पर जिला परिषद का बोर्ड लगाने बारे:-</p> <p>खण्ड विकास अधिकारी, नगर द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा जिला परिषद में तेरहवां वित्तियोग में स्वीकृत योजनाओं में जिला परिषद का बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिसमें बोर्ड की छाया प्रति सचिव जिला परिषद कुल्लू को समय-समय पर भेजे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे 13वां वित्तियोग के निर्माण कार्य आरम्भ पूर्व कार्य योजना स्थल पर जिला परिषद का बोर्ड अवश्य लगाएँ।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 08 | समस्त पदाधिकारी गण | माननीय मुख्यमन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला-2/ निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग | <p>प्रस्ताव संख्या:- 19/दिनांक 06.03.2013 जिला परिषद अध्यक्ष को अपने जिला में तथा माननीय जिला परिषद सदस्यों को उनके वार्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन हेतु अधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने बारे:-</p> | माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 09 | कार्यालय जिला परिषद | समस्त पदाधिकारिगण जिला परिषद कुल्लू / | <p>प्रस्ताव संख्या:- 21/दिनांक 06.03.2013 आगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने बारे:-</p> <p>सदन में लिए गए निर्णयानुसार सभी जिला परिषद पदाधिकारीगण अपने-अपने सम्बन्धित बार्ड में आगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे तथा वित्त वर्ष 2015-2016 की निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 10 | समस्त पदाधिकारी गण | निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 | <p>प्रस्ताव संख्या:- 23/दिनांक 06.03.2013 फोटोस्टेट मशीन क्रय करने बारे:-</p> <p>फोटोस्टेट मशीन क्रय करने हेतु जिला परिषद को उप निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(5)सी(15)जि0परि0-37350 दिनांक 11 फरवरी, 2015 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। सदन में इस मद पर चर्चा उपरान्त पारित किया गया कि फोटोस्टेट मशीन शीर्ष 13वां वितायोग से क्रय की जाए। क्रय करने संबंधी आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सचिव जिला परिषद को अधिकृत किया जाता है।</p> | <p>फोटोस्टेट मशीन को क्रय करने हेतु निविदाएँ कम्पनियों को प्रेषित की गई हैं, जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। तत्पश्चात् आगामी औपचारिकताएँ पूर्ण कर, फोटोस्टेट मशीन क्रय कर दी जाएगी।</p> |
| 11 | कार्यालय जिला परिषद | समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:- 25/दिनांक 06.03.2013 सम्पूर्ण स्वच्छता तथा पौधा रोपण एवं पर्यावरण अभियान का आयोजन करने बारे:-</p> <p>सदन ने निर्णय लिया कि समस्त पदाधिकारीगण द्वारा उनके वार्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा पौधा रोपण अभियान एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में कार्यक्रमों को आयोजित करें तथा रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 12 | श्री ओम प्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू | निजि सचिव, श्री जी0एस0बाली, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन तथा तकनीकी शिक्षा मन्त्री / एम0डी0, एच0पी0टी0सी0ए ल0 शिमला /क्षेत्रिय प्रबन्धक, | <p>प्रस्ताव संख्या:- 07/दिनांक 22.11.2013 क. कुल्लू से बड़ोगी, भ्रैण, छमाहण, चतराणी, शांगचण के रूटों में नियमित रूप से बसे चलाने बारे:-</p> <p>क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू द्वारा इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मनीकर्ण स्थित शाट को लिखा गया है कि भ्रैण शांगचण व छमाहण के लिए बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु रिपोर्ट इनके कार्यालय में प्रेषित करें लेकिन इनके कार्यालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है।</p> <p>इसके अतिरिक्त क्षेत्रिय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि कुल्लू से चतराणी मार्ग पर हिमपनि कुल्लू के द्वारा नियमित रूप से बस सेवा चलाई जा रही है जबकि बड़ोगी, त्रैहण, शांगचण तथा छमाहण के लिए अभी बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाएँ चलाना सम्भव नहीं है जबकि</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | हि0प0प0नि0 कुल्लू/क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, कुल्लू | कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निती के अन्तर्गत 40 बसों की मांग की गई है जिन्हें कुल्लू क्षेत्र के बन्द पड़े रूटों पर तथा कुछ नव निर्मित मार्गों पर चलाने का प्रस्ताव मुख्य कार्यालय को भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। भ्रैण तथा छमाहण रूटों पर अभी बस सेवा चलाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह मार्ग अभी तक संयुक्त मार्ग निरीक्षण कमेटी के द्वारा वाहन चलाए जाने के उपयुक्त घोषित नहीं किये गये हैं। | |
| 13 | श्रीमती कीर्ति शौरी, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् | अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रथम | प्रस्ताव संख्या :-04 /दिनांक 25.03.2014 <u>क. घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य पूर्ण करने तथा नाले पर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारे:-</u> अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल प्रथम ने अवगत करवाया कि घियागी से सजवाड़ सड़क का कार्य जून 2015 तथा पुल का कार्य जून 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। <u>ख) बटाहड़ मशियार सड़क का कार्य पूर्ण करने बारे:-</u> अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल प्रथम ने अवगत करवाया कि बटाहड़ मशियार सड़क का कार्य जून 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 14 | श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् | उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व उच्च शिक्षा/ प्रधानाचार्य, सर्व शिक्षा अभियान जरड | प्रस्ताव संख्या:- 05 /दिनांक 25.03.2014 <u>क. स्कूल भवनों को डिस्मैटल करने की क्या प्रक्रिया है, इसमें कितना समय लगता है, 31 दिसम्बर, 2013 तक कितने स्कूल भवनों को डिस्मैटल किया जा चुका है और निकट भविष्य में कितने भवनों को इस प्रक्रिया के अधीन डाला गया है। डिस्मैटल किये गये व किये जाने वाले भवनों की सूची दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?</u> <u>ख. प्राथमिक पाठशालाओं और उच्च पाठशालाओं में डैस्क खरीदने की क्या प्रक्रिया है, इसमें कितना समय लगता है, वर्ष 2005 से वर्ष 2013 तक कितने डैस्क विभाग द्वारा खरीदे गये, इसकी पूरी सूची स्कूलों से नाम के साथ लिखित में प्रस्तुत करे।</u> मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा रोष प्रकट करते हुए अवगत करवाया गया कि गत बैठकों में जो भी उतर दिए गए हैं उससे वे सन्तुष्ट नहीं हैं। अतः सदन में उपरोक्त रिपोर्ट को विस्तार से प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए। सदन में अधिकारी द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचना 15 दिनों के भीतर प्रेषित की जाएगी। | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 15 | श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय | मान्नीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश | प्रस्ताव संख्या :- 06 /दिनांक 25.03.2014 <u>क. भून्तर में उप कोषागार खोलने बारे:-</u> जिला कोषाधिकारी कुल्लू द्वारा गत बैठक में सदन को विस्तार | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|---|
| | <p>सदस्य जिला परिषद्</p> | <p>सरकार शिमला-2/ जिला कोषाधिकारी / जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू</p> | <p>पूर्वक अवगत करवाया गया था जिस सन्दर्भ में माननीय सदस्य द्वारा अवगत करवाया गया कि भून्तर में भी कोषागार खोला जाना अति आवश्यक है। क्योंकि भून्तर की स्थानीय जनता को चलान व हाई वेल्यू स्टेम्प के लिए कुल्लू आना पड़ता है। जिससे कि लोगों को अधिक समय लगता है और इन्हें असुविधा भी हो रही है।</p> <p>जिला कोषाधिकारी कुल्लू ने अवगत करवाया है कि भून्तर में उपकोषागार स्थापित करने हेतु अतिरिक्त निदेशक कोष लेखा तथा लाटरी विभाग शिमला द्वारा कुछ सूचना इनके कार्यालय से मांगी गई थी जिसे कि इनके कार्यालय पत्र संख्या फिन (टी0आर0)के0यू0/ईस्टा 2014-152378 दिनांक 18.10.2014 द्वारा प्रेषित की गई है।</p> <p>जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू द्वारा उप मण्डल अधिकारी (ना0) कुल्लू को इस सम्बन्ध में लिखा गया है कि भून्तर में उप कोषाकार खोलने हेतु भूमि का चयन कर राजस्व कागजात मय ततीमा तीन परता अपनी अनुशंसा/सिफारिश विस्तृत रिपोर्ट सहित शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें।</p> <p>अतः सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध किया कि वे तहसील भून्तर में उपकोषागार कार्यालय खोलने हेतु आगामी कार्यवाही के आदेश निदेशक महोदय को जारी करने की अनुकम्पा करें।</p> | <p>345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| <p>16</p> | <p>श्रीमती प्रेमलता ठाकुर, माननीय सदस्या जिला परिषद्</p> | <p>वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल कुल्लू</p> | <p>प्रस्ताव संख्या:- 08 /दिनांक 25.03.2014 पेड़ों को सुरक्षित रखने व घास को बचाने हेतु विभाग द्वारा ठोस कदम उठाने बारे:-</p> <p>वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू ने अवगत करवाया है कि घास लगाने के लिये लोहे की गाडर या पार्सिप उपलब्ध करवाने बारे मामला उनके कार्यालय के पत्र संख्या 5133 दिनांक 22.9.2014 उच्च कार्यालय को भेजा गया था। उच्च अधिकारी ने सूचित किया है कि वर्तमान में विभाग के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिस के अन्तर्गत गाँव वालों को कम मूल्यों पर लोहे के गाडर उपलब्ध करवाए जा सके। इस सम्बन्ध में उच्च कार्यालय से इनके कार्यालय को आदेश प्राप्त हुये है कि इस सम्बन्ध में मामला जिलाधीश अथवा जलागम विकास मण्डल से पत्राचार करें। इस कार्यालय के पत्र संख्या 8460 दिनांक 15.1.2015 के द्वारा जलागम विकास मण्डल से पत्राचार किया गया है। अतः इस पर फैसला होने पर सदन को अवगत करवाया जायेगा।</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जलागम विकास मण्डल, कुल्लू को निर्देश दिए गए कि वे वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या 8460 दिनांक 15.01.2015 का उत्तर शीघ्र अति शीघ्र प्रेषित करें।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 17 | श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्या जिला परिषद | श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री एवं अध्यक्ष जिला योजना समिति | <p>प्रस्ताव संख्या:-10 /25.03.2014 <u>जिला योजना समिति की बैठक का अयोजन करने बारे:-</u></p> | <p>जिला पंचायत अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बैठक का आयोजन श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री एवं अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा ही किया जा सकता है। अतः सदन द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जिला योजना समिति से अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र जिला योजना समिति की बैठक करवाने के निर्देश देने की अनुकम्पा करें।</p> |
| 18 | श्री बुद्धि सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद | श्री ओम प्रकाश शर्मा, सदस्य जिला परिषद/ खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जरी, तहसील भुन्तर जिला कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:- 12 /दिनांक 25.03.2014 <u>ख. भुन्तर (पी0एच0सी0) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए एक होमगार्ड के जवान की तैनाती की जाए।</u></p> <p>सदन में माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा, द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि वे आर0के0एस0 की बैठक में इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए की आर0के0एस0 के तहत एक होमगार्ड की नियुक्ति करें। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू द्वारा बी0एम0ओ0 जरी को निर्देश दिए गए है कि इनके कार्यालय की शाशनिकाय (Governing Body) की बैठक में इस समस्या का समाधान करें तथा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में इस कार्यालय को सूचित करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।</p> <p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आगामी खण्ड स्तर की बैठक में मामला विचाराधिन है तथा जैसे ही कोई निर्णय लिया जाता है। इस सम्बन्ध में जिला परिषद को अवगत करवाया जाएगा।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 19 | माननीय अध्यक्ष जिला परिषद | अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई विभागकुल्लू/ अधिशायी अभियन्ता, विद्युत विभाग मनाली/ अधिशायी अभियन्ता, लो0नि0वि0 मण्डल न0 02/ वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:- 16 /दिनांक 25.03.2014 <u>क. मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारे:-</u></p> <p>अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कुल्लू मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि मनाली शहर के सौन्दर्यकरण का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जैसे ही विद्युत विभाग वाले अपना Over Head Line underground करने का कार्य पूर्ण करेंगे, इस कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर दिया जाएगा।</p> <p><u>ख. दुआड़ा मेहा, भुझणू सड़क को चौड़ा तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने बारे:-</u></p> <p>अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि दुआड़ा से मेहा सड़क का निर्माण वन विभाग द्वारा किया गया था तथा यह सड़क वन विभाग के अधीन है। अभी यह सड़क वन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है। ग्राम पंचायत का पारित प्रस्ताव भी लोक निर्माण विभाग को दिया जाए।</p> <p>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | कुल्लू को निर्देश दिए गए कि वे दुआड़ा से मेहा सड़क को लोक निर्माण विभाग को सौंपने हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाएँ तथा आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाएँ। माननीय अध्यक्ष इस बारे पंचायत से भी बातचीत कर प्रस्ताव प्रेषित करवाएँ। | |
| 20 | समस्त पदाधिकारीगण जिला परिषद् कुल्लू | निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 | <p>प्रस्ताव संख्या:-07/दिनांक 20 जून, 2014 विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों में विभाजित करने बारे:-</p> <p>सदन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भून्तर को तहसील का दर्जा देने हेतु आभार प्रकट किया गया और यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू में 70 पंचायतें हैं और विकास खण्ड नगर में 40, विकास खण्ड बन्जार में 36, विकास खण्ड आनी में 32 तथा विकास खण्ड निरमण्ड में 26 पंचायतें हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा खण्ड (Block) विकास खण्ड कुल्लू है जिसमें कि 70 पंचायतें हैं तथा 70 पंचायतों का कार्यभार सम्भालना बहुत मुश्किल हो रहा है। यदि 70 पंचायतों में से कार्यक्षेत्र के अनुसार उसका एक अन्य विकास खण्ड भून्तर बनाया जाए या इसे 2 भागों में विभाजित किया जाए तो कार्यों को सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है।</p> <p>सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया गया कि विकास खण्ड कुल्लू को 2 भागों/खण्डों में विभाजित करने की अनुकम्पा करें।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 21 | श्री मेघ सिंह ठाकुर, अध्यक्ष पंचायत समिति कुल्लू | अधिकाशापी अभियन्ता, यान्त्रिक लोक निर्माण विभाग कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:- 11/दिनांक 20 जून, 2014 पुल एन0एच0 पिरडी तलोगी के पास मुरम्मत करने बारे</p> <p>सहायक अभियन्ता, यान्त्रिक उपमण्डल न0 02 हि0प्र0 लो0नि0विभाग शमशी ने बैठक में मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया था और इसका मुरम्मत का प्राक्कलन अधिकाशापी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 2 हि0प्र0 लो0नि0 विभाग कुल्लू को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3282-3284 दिनांक 9.9. 2014 को मु0 1397000/- केवल का प्रेषित किया गया है, तत्पश्चात अधिकाशापी अभियन्ता कुल्लू मण्डल न0 2 द्वारा प्राक्कलन को स्वीकृती हेतु अधीक्षण अभियन्ता षष्टम वृत हि0प्र0 लो0नि0 विभाग कुल्लू को उनके कार्यालय पत्र संख्या 13475-76 दिनांक 27.9.2014 को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है तथा उपरोक्त प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात्, धन उपलब्ध होने पर कार्य को सुचारु रूप से प्रारम्भ किया जाएगा।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 22 | समस्त जिला परिषद सदस्य | समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जिला कुल्लू | प्रस्ताव संख्या:-14/दिनांक 20 जून, 2014 13वां वित्तियोग के कार्यों की समीक्षा व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने बारे:- | |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र अति शीघ्र 13वां वित्तियोग के कार्यों की समीक्षा व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कार्यवाही करें। | 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 23 | समस्त सदस्य जिला परिषद कुल्लू | माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02/ माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मन्त्री हि0प्र0 सरकार शिमला-02 | प्रस्ताव संख्या:-16/दिनांक 20 जून, 2014 13वां वित्तियोग के अंतर्गत जिला परिषदों को आबंटित राशि के बारे में :- 13वां वित्तियोग के अंतर्गत जिला परिषद को जो राशि आबंटित की जा रही है उसे व्यय करने के लिए मार्गदर्शिका में पूर्व में आमूल चूल परिवर्तन किया गया था जिस कारण इस राशि को व्यय करने में समस्या आ रही थी। इस मार्गदर्शिका में फिर से परिवर्तन करने हेतु जिला परिषद सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय पंचायती राज मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया था। इस निवेदन को स्वीकार करते हुए इस मार्गदर्शिका में पुनः विभाग द्वारा परिवर्तन किया गया है, इस परिवर्तन करने के बाद ही इस राशि को व्यय किया जा सकता है। जिला परिषद कुल्लू मार्गदर्शिका में परिवर्तन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय पंचायती राज मन्त्री हि0प्र0 सरकार का धन्यवाद करती है। सदन में चर्चा की गई कि जिला परिषद को 13वां वित्तियोग जिला परिषद के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हो रही है उसका 20 प्रतिशत मनरेगा करवरजेन्स पर खर्च किया जाना है। जिला परिषद को मनरेगा कनवरजेन्स में राशि खर्च करने हेतु किसी भी विकास खण्ड से मांग प्राप्त नहीं हुई है। जिला परिषद इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय पंचायती राज मन्त्री हि0प्र0 सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से आग्रह करती है कि इस 20 प्रतिशत मनरेगा कनवरजेन्स के लिए रखी गई राशि को सीधे तौर पर अन्य कार्य योजनाओं को 13वां वित्तियोग मार्गदर्शिका में दी गई है पर खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि इस राशि को 31 मार्च से पूर्व व्यय किया जा सके तथा पंचायत पदाधिकारी संघ हि0प्र0 द्वारा इस मार्गदर्शिका में संशोधन करने बारे जो आग्रह किया है उस अनुसार मार्गदर्शिका में संशोधन करने की कृपा करें। | 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 24 | श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जि0प0 | परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू / जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू | प्रस्ताव संख्या :-03/ दिनांक 24.9.2014 क. सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन का क्या नियम है, इस में पटवारी की क्या भूमिका है ? ख. आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी किया जाता है उसके क्या मापदण्ड है ? | अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई आई0आर0डी0पी0 और बी0पी0एल0 में पात्र उम्मीदवार के चयन की मार्गदर्शिका प्रतिलिपि माननीय सदस्य को उपलब्ध करवाई गई है। अतः प्रस्ताव सदन में समाप्त करने हेतु प्रस्तुत है। |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 25 | मान्तीय अध्यक्ष जिला परिषद | निजी सचिव, मान्तीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 | <p>प्रस्ताव संख्या:- 06/दिनांक 24.9.2014 पटवारियों के रिक्त पदों को भरने बारे:-</p> <p>सदन में मान्तीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि पटवारियों के रिक्त पड़े पदों के कारण जनहित के कार्यों में बाधाएँ आ रही हैं। जिला कुल्लू में ही नहीं बल्कि हिमाचल के सभी जिलों में पटवारी के पद रिक्त हैं। अतः मान्तीय मुख्यमन्त्री महोदय से प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि पटवारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने की अनुकम्पा करें।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 26 | मान्तीय अध्यक्ष जिला परिषद | निजी सचिव, मान्तीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2/ अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल-2, कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:- 07/दिनांक 24.9.2014 ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट सड़क जगतसुख से लिंक रोड बनारा तक (3 कि0मी0 आगे तक) सरकार इस सड़क को पी0डब्ल्यू0डी0 के अधीन करने बारे:-</p> <p>अधिशाषी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल द्वितीय ने अवगत करवाया है कि जगतसुख से लिंक रोड बनारा सड़क को हि0प्र0लो0नि0वि0 के अन्तर्गत लाने हेतु प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। परन्तु ए0डी0 हाईड्रो प्रोजेक्ट से अभी तक रैवन्यू पेपर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। इन दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त इस सड़क को इस विभाग के अन्तर्गत लाने के लिए उचित कार्यवाही करके उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने ए0डी0 हाईड्रो से आए हुए अधिकारी को निर्देश दिए कि वो इस बारे में 10 दिनों के अन्दर कार्यवाही कर रिपोर्ट सदन में पेश करें।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 27 | श्रीमती रेश्मा ठाकुर, मान्तीय सदस्या जिला परिषद | अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:- 08/दिनांक 24.9.2014 जल सिंचाई कुहल नगर हरीपुर से नथान पंचायत के लंराकेला गाँव तक निर्माणित कुहल में पानी की आपूर्ति करने बारे:-</p> <p>अधिकारी ने अवगत करवाया है कि सिंचाई योजना हरिपुर नाला से नथान में पानी नगर मोड़ तक उपलब्ध है। उसके आगे भारी हिमपात व वर्षा के कारण यह कुहल जगह-जगह भूमि धंसन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। जहाँ तक किसानों को सिंचाई बिल देने की आपति है। इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा केवल खरीफ 2011-2012 तथा रबी 2012-13 के बकाया राशि के ही बिल दिये गये हैं जिसमें केवल सात आठ किसानों ने ही भुगतान किया है। जबकि 2013-14 में कोई भी सिंचाई बिल नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख है कि कुहल के क्षतिग्रस्त होने के बाद कोई भी बिल नहीं दिया गया है। जहाँ तक कुहल के क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने का प्रश्न है इस वर्ष अधिक बारिश व वर्ष पड़ने के कारण कार्य नहीं किया जा सका है। कुहल की मुरम्मत का कार्य मौसम के ठीक होने के उपरान्त ही अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करके अप्रैल या मई तक शुरू किया जा सकेगा।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 28 | श्रीमती रेश्मा ठाकुर, मान्नीय सदस्या जिला परिषद | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू/ क्षेत्रीय प्रबन्धक हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:-09/दिनांक 24.9.2014 भून्तर जीया लैफ्ट बैंक से नगर पतली कुहल मनाली व वापिस मनाली, पतलीकुहल, नगर, जीया, भून्तर के लिए 3 बसें प्रातः दोपहर व शाम को चलाने बारे:-</p> <p>सदन में पुनः क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि वर्तमान में इन रुटों पर बस सेवाओं का संचालन बसों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण सम्भव नहीं है जबकि कुल्लू क्षेत्र के द्वारा JNNURM निति के अन्तर्गत 40 बसों की मांग की गई है जिनमें इन वर्णित रुटों का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अतः बसों तथा कर्मचारियों की आपूर्ति होते ही उपरोक्त वर्णित मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 29 | अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार | अध्यक्ष, जिला परिषद कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:-10/दिनांक 24.9.2014 पंचायत समिति हाल के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने बारे:-</p> <p>मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष पंचायत समिति बन्जार को आश्वासन दिया गया कि वे एल0ए0डी0सी0 से पंचायत समिति हाल के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान करवाएंगे।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 30 | श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू | क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या 03/दिनांक 16.01.2015</p> <p>मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि वर्तमान में मनाली से हरीद्वार के लिए जो भी बसें चल रही है। वह सभी साधारण बसें ही हैं। हरिद्वार जो कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, ऐसे में इतना दूरस्थ क्षेत्र तय कर पाना रात्री के समय कठिन होता है। यदि रात्री के समय में बेहतर किस्म की बसों को चलाया जाए तो, आज की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।</p> <p>क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि मामला मुख्य कार्यालय हिमपनि शिमला को स्वीकृती हेतु भेजा गया है तथा स्वीकृती प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी व तदनुसार अवगत करवा दिया जाएगा।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 31 | श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद | कार्यालय उपायुक्त कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या 06/दिनांक 16.1.2015</p> <p>मलाणा परियोजना -2 का एल0ए0डी0सी0 के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशी जमा हुई है और कितना बकाया है ? किन -2 योजनाओं के लिए कितने-कितने बजट की योजनाओं को पारित किया गया है और कितनी योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है और वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएँ ?</p> <p>मान्नीय उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि मलाणा परियोजना 2 का एल0ए0डी0सी के अन्तर्गत कुल मु0 1.00 करोड़ की राशि जमा की गई है और तथा 12.59 करोड़ बकाया है। निर्माण ब्रिज मलाणा मु0 486000/-, निर्माण मलटीपर्पज भवन मलाणा मु0 6310000/-, निर्माण 15 न0</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | | |
|----|--|--------------------------|--|---|
| | | | <p>एस0पी0वी0 स्ट्रीट लाईट मलाणा 357000, सुधार डबलयू0एस0एस0 मलाणा मु0 1441000, निर्माण मलटीपर्पज भवन ढालपुर कुल्लू मु0 1406000 रुपये का खर्च किया गया ।</p> <p>सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि उपरोक्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र इनके कार्यालय में जमा किए गए हैं या नहीं ? जहाँ तक मल्टीपर्पज भवन ढालपुर का सवाल है, मैं इसका पूर्ण तौर से विरोध करता हूँ क्योंकि इस कार्य से आम जनता को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस 140600/- की धनराशि को ग्राम पंचायत छैऊर के विकास कार्य के लिए प्रदान किया जाए क्योंकि यह पंचायत भी मलाणा परियोजना से प्रभावित हुई है तथा परियोजना का स्विचयार्ड छैऊर गाँव में बना है। इसलिए यह पंचायत इस राशि की हकदार है। इसके अतिरिक्त दशहरा कमेटी की 60 लाख की धनराशि को तो कमेटी को वापिस किया गया है। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि एल0ए0डी0सी0 की धनराशि को अभी तक वापिस नहीं किया गया है क्यों ?</p> | |
| 32 | श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद | कार्यालय उपायुक्त कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या 07/दिनांक 16.01.2015 श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद</p> <p>मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि अटल सदन क्या है? इससे क्या सहूलियत होगी। अटल सदन निर्माण के लिए बजट का क्या प्रावधान है। पूर्व में पैसा कहाँ से आया ?</p> <p>अटल सदन एक Multi Purpose complex बनाना था जिसका शिलान्यास भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इसमें विश्राम गृह, ऑडिटोरियम, Indoor Games, दशहरा कमेटी के कार्यालय इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जानी थी। इस ईमारत के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशी स्वीकृत की थी, जिसमें से एक करोड़ रुपये की धनराशि लाडा से और 60 लाख रुपये की धनराशि दशहरा कमेटी से ली गई थी और 60 लाख रू0 की राशी दशहरा कमेटी को वापिस कर दी गई है। वर्तमान समय में, मान्नीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने अटल सदन को हि0प्र0लो0नि0वि0 को विश्राम गृह हेतु प्रस्तावित किया है जिसकी drawing वास्तुकार, शिमला द्वारा बनाई गई है और इसकी फिजीविलिटी रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भेज दी गई है और प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया जा रहा है।</p> <p>अटल सदन के लिए जो धनराशि एल0ए0डी0सी0 और दशहरा कमेटी की ली गई है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि एल0ए0डी0सी0 की धनराशि उसी क्षेत्र की पंचायतों को वापिस जानी चाहिए जो कि परियोजना के कारण प्रभावित हुई है। एल0ए0डी0सी0 की धनराशि 140600/- रुपये मलाणा-2</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | के फण्ड में वापिस करके इसे छैउर पंचायत को दिया जाए। जहाँ तक 8,60,000/- राशि का सवाल है। यह धनराशि सैंज परियोजना के एल0ए0डी0सी0 फण्ड में जमा होना चाहिए और यह धनराशि रैला पंचायत को मिलनी चाहिए क्योंकि यह पंचायत भी सैंज परियोजना से प्रभावित हुई है। | |
| 33 | श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद् | कार्यालय विद्युत विभाग कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या 08/दिनांक 16.01.2015</p> <p>क. गत वर्ष बर्फबारी के कारण विद्युत विभाग को कितनी क्षति पहुँची है ? जिला कुल्लू में जिन गाँवों को आज तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यह कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी ? विद्युत विभाग को किस प्रकार का नुकसान हुआ है तथा किन कारणों से हुआ, अवगत करवाएँ ?</p> <p>सदन में अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है कि बर्फबारी के कारण अनुमानित 5.00 करोड़ का नुकसान हुआ है। विद्युत मण्डल कुल्लू के अधिन सभी गाँवों में बिजली आपूर्ति भेज दी गई है। शेष 3 गाँवों में अभी तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है (पाली, गाहर, काडा)। तारें एवं पोलों के टूटने के कारण नुकसान हुआ है। यह नुकसान भारी बर्फबारी के कारण हुआ है।</p> <p>ख. विभाग द्वारा ठेकेदार से लेबर सप्लाई मांगी गई थी, यदि मांगी गई थी, तो इस की अदायगी लेबर को की जायेगी या ठेकेदार को की जाएगी ?</p> <p>अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बिजली को बहाल करने के लिए विभाग द्वारा ठेकेदारों से लेबर सप्लाई मांगी गई भी तथा कार्य के प्रकलन अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से ही मजदूरों को लेबर अदायगी दी गई।</p> <p>अधिशायी अभियन्ता, विद्युत विभाग द्वारा रिक्त पदों की सूचना कार्यालय को प्रेषित की गई है तथा अधिकारी द्वारा सदन से अनुरोध किया गया कि रिक्त पदों पर कर्मचारियों को शीघ्र अति शीघ्र नियुक्त किया जाए तथा पोलों की गुणवत्ता को गुणवत्ता विभाग द्वारा जाँचा जाता है तत्पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा बिजली के पोल लगाए जाते हैं।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 34 | श्रीमती प्रेमलता, माननीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू | अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल-2 | <p>प्रस्ताव संख्या 10/दिनांक 16.01.2015</p> <p>क. कुल्लू से शिलवधानी सड़क जो तेलंग होकर जा रही है। यह कब तक पूरी होगी और सरवरी पुल से शिशामाटी तक इस सड़क का काम कब तक शुरू होगी ताकि शिशामाटी में जो जाम की गम्भीर समस्या है। वह दूर हो सके।</p> <p>अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 02 ने अवगत करवाया है कि कुल्लू शिलवधानी सड़क का कार्य प्रगति पर है जो कि मौसम की खराबी के कारण धीमी गति से हो रहा है यह कार्य इस वर्ष पूर्ण कर दिया जाएगा। सरवरी पुल से शिशामाटी तक सड़क का कार्य अभी शुरू नहीं हो सकता क्योंकि इसकी Forest clearance वन विभाग ने आना अपेक्षित है।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | | <p>ख. कुल्लू से तिरुन समालंग रोड़ का काम कब तक पूरा होगा। इसका समय निर्धारण किया जाये।</p> <p>अधिशायी अभियन्ता, कुल्लू मण्डल न0 02 ने अवगत करवाया गया कि अलेऊ सड़क का कार्य प्रगति पर है। कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।</p> | |
| 35 | <p>अध्यक्ष जिला परिषद् कुल्लू/ श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू</p> | <p>समस्त पदाधिकारीगण/ पुलिस अधीक्षक नगर कुल्लू तथा मनाली, नगर भुन्तर तथा बन्जार/ समस्त कार्यालयाध्यक्ष जिला कुल्लू</p> | <p>प्रस्ताव संख्या:-12/दिनांक 16.01.2015 <u>CWP No 6631/2014-Bhartiya Govansh Rakshan Parishad H.P. Vs. state of H.P. & other:-</u></p> <p>पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने अवगत करवाया है कि मान्नीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 द्वारा जारी दिशा निर्देश इस जिला के समस्त पर्यवेक्षक अधिकारी एवं प्रभारी थाना/चौकियों को प्रचलित किए गए हैं व इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जिनका ब्योरा निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under Section 429 IPC=1 Case 2. Under Section 289 IPC=3 Case 3. Under Section 114 of HP Police Act, 2007= 1 Case <p>सदन में पशु पालन विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि चिप इत्यादि प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की आज दिनांक में हिमाचल प्रदेश में कोई भी योजना नहीं है। लेकिन विभाग द्वारा टैग/पंच के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अधिकारी द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि इस कार्य को अप्रैल अन्त तक पूर्ण कर देंगे तथा यदि सरकार द्वारा चिप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन की अधिसूचना जारी होती है तो इससे लगभग प्रत्येक समस्याओं का समाधान हो जाएगा।</p> <p>सदन द्वारा जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे इस सम्बन्ध में जिला के समस्त प्रधान व उप प्रधानों को अवगत करवाएंगे तथा वे उनकी पंचायत में प्रत्येक पशु का जन्म के समय ही पंजीकरण हो ऐसी योजनाएं बनाएंगे।</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 36 | <p>श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद् कुल्लू</p> | <p>जिला नियन्त्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू</p> | <p>प्रस्ताव संख्या:- 13/दिनांक 16.01.2015 <u>मिट्टी का तेल ऑपन बंजारों में बेचा जाने बारे:-</u></p> <p>जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले कुल्लू ने अवगत करवाया है कि जिला में सफेद मिट्टी तेल की विक्री खुले बाजार में करने हेतु जिला में कार्यरत मिट्टी तेल थोक विक्रेता मै0 सूद एण्ड कम्पनी, अखाड़ा बाजार कुल्लू को अधीकृत करने के सम्बन्ध मामला इस कार्यालय द्वारा निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं राज्य स्तरीय समन्वयक</p> | <p>जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | <p>मण्डलीय प्रबन्धक भारतीय तेल निगम शिमला-9 से उठाया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृती प्राप्त होने पर सफेट मिट्टी तेल की आपूर्ति/विक्री खुले बाजार में आरम्भ कर दी जायेगी।</p> <p>माननीय सदस्य द्वारा चाहा गया कि विभाग इस सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र करें तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि, माननीय सदस्य महोदय द्वारा चाहा गया है इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाया जाए।</p> | |
| 37 | समस्त पदाधिकारीगण | निदेशक पंचायती राज शिमला-9/ सचिव पंचायती राज विभाग शिमला-2 | <p>प्रस्ताव संख्या:-14/दिनांक 16.01.2015 पंचायत भवन सरवरी में पट्टेधारक द्वारा कार्य आरम्भ करने बारे:-</p> <p>सदन में श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री चेत राम, सरवरी बाजार कुल्लू का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अन्तर्गत इन्होंने अवगत करवाया है कि यह सरवरी हाल में कुछ अन्य निर्माण कार्य करवाना अति आवश्यक है तथा सदन द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर छत पर अस्थायी किचन व छत पर जाने के लिए अस्थायी लोहे की सीढ़ी लगाने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत हाल सरवरी में कार्य शुरू करने के लिए यदि आप छत पर किचन का निर्माण करना चाहते हैं तो आप इस किचन का निर्माण अस्थायी तौर पर करेंगे। 2. इस किचन के लिए अलग से कोई विद्युत कनेक्शन नहीं लिया जाएगा। 3. इस किचन के लिए अलग से स्थायी तौर पर कोई भी पानी का कनेक्शन नहीं लिया जाएगा। 4. किचन जाने के लिए जो सीढ़ी आप लगाएंगे वह अस्थायी होगी। छत पर आने-जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आप स्वयं उपरदायी होंगे। 5. किचन निर्माण व सीढ़ी लगाने के लिए आप प्रारूपकार के परामर्शानुसार ही कार्य करेंगे। 6. इस किचन के निर्माण व सीढ़ी देने के लिए कानूनन कोई अड़चन आती है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उदाहरण के तौर पर नगर नियोजन विभाग से अनापति प्रमाण लेना आदि। | प्रस्ताव को सदन द्वारा सर्वसम्मति से समाप्त किया गया। |
| 38 | श्री हरि चन्द शर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू | खाद्य निन्त्रक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:-15/दिनांक 16.01.2015 ग्राम पंचायत पोशना में व्यक्तिगत डिपू को कृषि सहकारी समिति के नाम हस्तांतरण करने बारे:-</p> | जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त मामले कुल्लू ने अवगत करवाया है कि ग्रौ में कार्यरत मिट्टी तेल का डिपो सहकारी सभा के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया है तथा सहकारी सभा द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान द्वारा मिट्टी तेल का वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 39 | श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू | प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला / क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0प0प0निगम कुल्लू | प्रस्ताव संख्या :-17/दिनांक 16.01.2015 <u>मनाली से सोलन हेतु सीधी बस सेवा उपलब्ध करवाने बारे:-</u> क्षेत्रीय प्रबन्धक हि0प0प0नि0 कुल्लू ने अवगत करवाया है कि मामला मुख्य कार्यालय हिमपनि शिमला को स्वीकृती हेतु भेजा गया है तथा स्वीकृती प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी व तदनुसार अवगत करवा दिया जाएगा। | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 40 | श्री बुद्धि सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद | खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू | प्रस्ताव संख्या :-19/दिनांक 16.01.2015 <u>निर्माण ट्रैक्टर रोड़ पक्का सेस राम के घर से गोपाल राम के घर तक :-</u> | सदन में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया। |
| 41 | अध्यक्ष जिला परिषद | सचिव जिला परिषद, कुल्लू | प्रस्ताव संख्या :-20/दिनांक 16.01.2015 <u>गैरेज निर्माण करने बारे :-</u> | सदन में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समाप्त किया गया। |
| 42 | समस्त पदाधिकारीगण | निदेशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 | प्रस्ताव संख्या:-21/दिनांक 16.01.2015 <u>ज्ञानवर्धन भ्रमण कार्यक्रम हेतु स्वीकृति प्रदान करने बारे:-</u> | निदेशक पंचायती राज विभाग ने अवगत करवाया गया कि जिला परिषद अपनी निधि के अन्तर्गत ज्ञानवर्धन भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकती है। |
| 43 | श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू | राजस्व अधिकारी कुल्लू | प्रस्ताव संख्या:-02/दिनांक 26 मार्च, 2015 क. मनाली ग्राम पंचायत में मनुधाम के लिए जनता की निजि भूमि की सेक्शन 118 के तहत अनुमति प्राप्त करने हेतु दस्तावेज जिलाधीश महोदय को प्रेषित किए गए हैं। इस की अनुमति सरकार से प्राप्त हुई है या नहीं। ख. पंचायत कंटराई जटेहड़ विहाल में गौशाला 2002 से चल रही है। यह गौशाला हैरिटेज हिमालय ट्रस्ट चला रहा है तथा इसी क्षेत्र में सरकारी जमीन ढाई बीघा है। यदि यह जमीन उपरोक्त ट्रस्ट के नाम हस्तांतरित की जाए। इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्ति हेतु दस्तावेज उपायुक्त महोदय को प्रेषित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाएँ ? ग. रेवन्यू गाँव की परिभाषा क्या है ? जिस फाटी /गाँव/मुहाल/उपमुहाल के लिए वन्दोवस्त के समय राजस्व अभिलेख तैयार किया जाता है। उसे रेवन्यू गाँव कहते हैं। | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू द्वारा अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा-118 के अन्तर्गत मनुशोध प्रतिष्ठान मनाली को मनुधाम स्थापित करने हेतु भूमि खसरा न0 476 रक्वा तादादी 0-32-82 हैक्ट0 का 304112/552960 भाग रक्वा वकदर 0-18-05 हैक्ट0 वाक्या उपमुहाल मनुनगर फाटी मनाली (जिसे श्री खूब राम आदि ने दान में देना है) की अनुमति प्रदान करने का मामला वितायुक्त एवं सचिव (राजस्व) हि0प्र0 दिनांक 30.03.2011 को भेजा गया था, में अभी तक भूमि क्रय/दान में उपलब्ध करने की अनुमति नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या रैव0-वी0 एफ0 (10) 164/2011 दिनांक 29.02.2012 (जिसकी प्रति मनुशोध न्यास को भी प्रष्ठाकित है) द्वारा अवगत करवाया है कि इस प्रकरण में मुजारियत एवं भू-संधार (संसोधित) नियम 2011 के अन्तर्गत (जिसमें सम्बन्धित विभाग का अनिवार्यता प्रमाण पत्र बांछित है) कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में मनुशोध प्रतिष्ठान मनाली को कार्यालय पत्र संख्या 7975/स0क0/न0स0क0 दिनांक 28.03.2012 द्वारा वांछित दस्तावेज की उपलब्धता व औपचारिकता बारे अवगत किया जा चुका है, जो कि मनुशोध प्रतिष्ठान न्यास मनाली से अभी तक उपलब्ध न है।

दि हैरिटेज हिमालय नामक संस्था द्वारा गौसदन हेतु भूमि लीज पर प्रदान करने बारे आवेदन पर कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार अनुसार उप महाल जटेहड़ विहाल (कटराई) कोठी बड़ाग्रां तहसील व जिला कुल्लू में खसरा न0 1153, 1151, 1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1152 सालम व शिकमी खसरा न0 1150/1 व 1149/1 किता 10 कुल रक्वा 20 विद्या 07 विस्वा गौसदन के लिए दि हैरिटेज हिमालय एडवैन्चर टूरिजम मैडिसनल हर्वल एण्ड सोशियल बैलफेयर सोसाईटी लिमिटेड द्वारा चिन्हित की है अधिकांश भाग राजस्व रिकार्ड में चरागाह दरखतान है। अतः वन विभाग से एफ0सी0ए0 1980 के अन्तर्गत अन्नापति प्रमाण पत्र आवश्यक है, के सन्दर्भ में उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन कुल्लू ने निदेशक, पशु पालन विभाग हि0प्र0 शिमला से प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2012 (छायाप्रति सलंगन) द्वारा अवगत करवाया है कि गौसदन निर्माण हेतु एन0जी0ओ0 को भूमि लीज पर प्रदान करने हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण बारे **compensatory Afforestation** आदि के लिए पशुपालन विभाग के पास बजट का प्रावधान न है। अतः श्री विजय सेन, अध्यक्ष देव भूमि पशु एवं जीव जन्तु कल्याण संस्था गॉव वांशिग डाकघर बबेली व श्री खुशाल चौहान प्रधान दि हैरिटेज हिमाचल एडवैन्चर टूरिजम मैडिकल सोसाईटी गॉव जटेहड़ डाकघर कटराई को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1998-99/डी0आर0ए0 दिनांक 30.12.2013 द्वारा गौशालाओं हेतु भूमि लीज पर लेने हेतु हि0प्र0 लीज रूल के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर आवेदित करने हेतु सूचित किया गया है।

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | | <p>प्रधान दि हैरिटेज हिमालय एडवैन्चर टूरिजम मैडिसनल हर्वल एण्ड सोशियल बैलफेयर सोसाईटी लिमिटेड नामक संस्था ने दिनांक 21.01.2014 को मुहाल बाडी कोठी बड़ाग्रां तहसील मनाली स्थित रक्वा तादादी 15-12-0 विद्या भूमि संस्था को 99 वर्षों के लिए लीज पर प्रदान का आवेदन प्राप्त हुआ है। उप मण्डलाधिकारी (ना0) मनाली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि मलकीयत हि0प्र0 सरकार व काश्त पशु पालन विभाग के नाम कागजात माल में दर्ज है। रक्वा हजा राष्ट्रीय राज मार्ग 21 के साथ तथा रक्वा हजा में वन सम्पदा (वृक्ष) मौजूद है।</p> <p>उक्त प्रस्तावित भूमि लीज पर प्रदान करने की अन्नापति बारे उप निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन कुल्लू द्वारा उनके कार्यालय पत्र दिनांक 05.02.2014 द्वारा निदेशक, पशु पालन विभाग हि0प्र0 शिमला को अग्रेषित किया है ताहाल अन्नापति पत्र प्राप्त न हुआ है। पशु पालन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही उक्त भूमि लीज पर प्रदान करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।</p> | |
| 44 | श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू | जिला मत्स्य अधिकारी, कुल्लू/ उप निदेशक, पशु पालन विभाग | <p>प्रस्ताव संख्या:-03/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>क. मछली फार्म पतलीकुहल में पशु पालन विभाग के पास विभाग की निजि भूमि है या नहीं ? यदि है तो कितनी है अवगत करवाए ?</p> <p>विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि मछली फार्म पतलीकुहल में पशु पालन विभाग के पास विभाग की निजि भूमि नहीं है।</p> <p>ख. गौशाला जटेहड़ विहाल को स्टोर की आवश्यकता है क्या पशुपालन विभाग भूमि गौशाला के नाम हस्तांतरण कर सकता है यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली औपचारिकताओं के बारे में अवगत करवाएँ ?</p> <p>पशु पालन विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके विभाग के पास पशुपालन विभाग की अपनी कोई भूमि नहीं है।</p> <p>अतः सदन में निर्णय लिया गया कि मत्स्य अधिकारी से इस सम्बन्ध में लिखा जाए। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मत्स्य अधिकारी को निर्देश दिए गए कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करें।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 45 | श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद | जिला राजस्व अधिकारी, कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:-04/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>विभिन्न तहसीलों में राजस्व रिकार्ड ऑन लाईन के सम्बन्ध में जानकारी देने बारे:-</p> <p>राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त निम्न रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई:-</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना |

| क्र० | नाम तहसील /उप तहसील /उप तहसील | तहसील /उप तहसील में राजस्व गाँवों (फाटी/ मुहाल) की कुल संख्या | आज तक की स्थिति जिन राजस्व गाँवों (फाटी/ मुहाल) की जमावन्दीय ां जो (अप टू डेड) हैं की संख्या | जिन राजस्व गाँवों (फाटी/ मुहाल) की जमावन्दीय ां जो (अप टू डेड) न हैं की संख्या | कारण |
|------|-------------------------------|---|--|--|--|
| 01 | मनाली | 82 | 64 | 18 | कम्प्यूटर व प्रिंटर खराब होने के कारण (अप टू डेट) न हो सकी। अब 30.04.2015 तक पूर्ण रूप से तैयार की जायेगी। |
| 02 | कुल्लू | 224 | 179 | 45 | पटवारियों के पद रिक्त होने के कारण वकाया में है। |
| 03 | भून्तर | 26 | 18 | 08 | प्रिंटर खराब होने के कारण (अप टू डेट) न हो सकी। |
| 04 | बन्जार | 31 | 31 | | |
| 05 | निरमण्ड | 21 | 08 | 13 | डाटा ओप्रेटर व कम्प्यूटर न होने के कारण (अप टू डेट) न हो सकी। अब डाटा ओप्रेटर व कम्प्यूटर मिल चुके हैं शीघ्र ही अप टू डेट कर दी जाएगी। |
| 06 | सैज | 14 | 04 | 10 | डाटा ओप्रेटर न |

प्राप्त नहीं हुई है।

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|--------|----|-------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | होने के कारण अप टू डेट न हो सकी। | | |
| | | | 07 | आनी | 14 | 01 | 13 | डाटा ओप्रेटर न होने के कारण अप टू डेट न हो सकी। | |
| | | | 08 | नित्थर | 08 | | 08 | कम्प्यूटर व डाटा ओप्रेटर न होने के कारण अप टू डेट न हो सकी। | |
| 46 | श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू | अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-2 | <p>प्रस्ताव संख्या:-05/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि वामतट मार्ग से जो भी वाहन भूतनाथ पुल (सरवरी) को पार करके आखाड़ा-बाजार की ओर आते हैं, वर्तमान में उन्हें पंचायत भवन सरवरी से होते आना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें लगभग आधा कि०मी० का फालतू सफर तय करना पड़ता है। दूसरे यह सारा मार्ग काफी हद तक तंग भी है। जिससे वाहनों के साथ-साथ पैदल यात्रियों को भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या प्रशासन के पास इस विकट समस्या के समाधान हेतु इसे कैलाश थिएटर से होते हुए सीधा बिल्लकुल व्यासा मोड़ तक जोड़ने की योजना है ?</p> <p>सदन में विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपरोक्त स्थान का निरीक्षण किया जाएगा तथा जिसमें उन द्वारा मान्नीय सदस्य को भी निरीक्षण में उपस्थिति हेतु आग्रह किया जाएगा तत्पश्चात् मान्नीय सदस्य के साथ किए गए निरीक्षण सम्बन्धि रिपोर्ट को विभाग द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।</p> | | | | | | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 47 | श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू | निदेशक एन0एच0ए0आई0 शिमला यूनिट, कामना व्यू भवन फेस-3 नया शिमला-171009 / भू अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण परियोजना अधिकारी, पण्डोह जिला मण्डी | <p>प्रस्ताव संख्या:-06/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नागचला (जिला मण्डी) से मनाली तक प्रस्तावित फोरलेन का सर्वे कहां-कहां से किस-किस स्वरूप में हो रहा है तथा इससे सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण अधिसूचना की वर्तमान स्थिति क्या है ? इस सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ?</p> <p>सदन में भू अधिग्रहण अधिकारी मण्डी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सम्बन्ध में समस्त जानकारी हेतु निदेशक एन0एच0ए0आई0 शिमला यूनिट, कामना व्यू भवन फेस-3 नया शिमला-171009 से पत्राचार करें। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक महोदय से अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त सूचना को शीघ्र अति शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त भू अधिग्रहण अधिकारी, मण्डी को भी निर्देश दिए गए कि वे भी अपने स्तर पर उनके निदेशालय से रिपोर्ट प्राप्त कर इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें ताकि सदन को सूचित किया जा सके।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 48 | श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद | पुलिस अधिक्षक कुल्लू/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू | <p>प्रस्ताव संख्या:-07/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>क. सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डाक्टरों के साथ जिन लोगों ने मारपीट की थी, पुलिस विभाग ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई ?</p> <p>पुलिस विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि सभी लोग जो मारपीट में शामिल थे को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही चलान न्यायालय में पेश किया जाएगा।</p> <p>ख. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कितने विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति की गई है ?</p> <p>श्री ओम पाल शर्मा, विकलांग विशेषज्ञ, डॉ हेमराज शर्मा, ओ0बी0जी0 स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा डॉ सोनम छेरिंग, आँख शल्यचिकित्सक इत्यादि डॉक्टरों को रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत नियुक्ति की गई है।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 49 | श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद | सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्थिति | <p>प्रस्ताव संख्या:-08/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>क. सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि सब्जी मण्डी भून्तर में कुल कितनी पक्की दुकानें हैं, और कुल कितने आढती हैं, जिनके पास लाईसैंस है, उन आढतियों के नाम भी बताए जाएं, जिन आढतियों को पक्की दुकाने दी गई है और दुकान अलॉटमेंट की तिथि भी बताई जाए। सब्जी मण्डी में कुल कितने खोखे हैं,</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | <p>और किन-किन आढ़तीयों ने यह खोखे बनाएँ हैं, कब-कब बनाये हैं। दिनांक भी बताई जाए। जिन आढ़तीयों के लाईसेंस है तो बने हैं, उनके पास न तो दुकाने हैं, और न ही खोखे हैं, वे अपना कार्य आरम्भ कैसे करें। उन आढ़तीयों के नाम भी बताएँ जो काम नहीं कर रहे हैं।</p> <p>सदन में विभाग के प्राप्त उत्तर से माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुए। अतः सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि उपरोक्त सूचना को माननीय सदस्य अनुसार ही शीघ्र अति शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें।</p> | |
| 50 | श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, उपाध्यक्षा जिला परिषद कुल्लू | अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-2 | <p>प्रस्ताव संख्या:-09/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>सदन में माननीय उपाध्यक्षा जिला परिषद द्वारा पूछा गया कि निम्न सड़कों की वर्तमान एवं आगामी स्थिति से विस्तारपूर्वक अवगत करवाएँ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पनगां शांगचर सड़क 2. पनगां से शेगली कशेरी सड़क 3. फोजल नेरी काथी कुकड़ी सड़क 4. फोजल रूंगा सड़क शीला तराशी कआइन सड़क 5. शीला तराशी कआइन सड़क 6. फोजल धारा फलाइन सड़क 7. पतलीकुहल से हलाण-2 सड़क 8. ब्रोड़ पारशा शलीण सड़क 9. क्लव हाउस से शनाग पलचान सड़क 10. सेलंग गाँव की सड़क व पुल <p>सदन में विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से माननीय उपाध्यक्षा सन्तुष्ट नहीं हुई क्योंकि उन द्वारा समस्त रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश हुए थे। अतः सदन में पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वे उपरोक्त सड़कों की समस्त रिपोर्ट (बजट सम्बन्धित विवरण, कार्य पूर्ण सम्बन्धित विवरण, कार्य आरम्भ सम्बन्धित विवरण, कार्य आरम्भ नहीं हुआ सम्बन्धित विवरण इस कारण सहित कि क्यों आरम्भ नहीं हुआ) प्रेषित करें।</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 51 | श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू | पुलिस अधिक्षक कुल्लू / अधिशायी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / जिला पर्यटन | <p>प्रस्ताव संख्या:-15/दिनांक 26 मार्च, 2015</p> <p>मनीकर्ण में पर्यटन समय के दौरान सड़क के ऊपर ओवर हॉग/हॉफ-टनल का कार्य न करने बारे तथा ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति करने बारे एवं कसोल से 100 मीटर पहले से लेकर मनीकर्ण जहाँ पर बरशैणी रोड़ मिलता है, में किसी भी प्रकार का वाहन खड़ी करने की अनुमति न देने बारे:-</p> <p>सदन में माननीय सदस्य जिला परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि कुछ वर्षों पहले मनीकर्ण सड़क पर गुरुद्वारा के सामने एक बहुत ही बड़ी</p> | जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की कार्यवाही के पत्र संख्या 345-448 दिनांक 09. जून, 2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | अधिकारी, कुल्लू स्थित मनाली | <p>चट्टान बस के ऊपर गिरी थी, जिस में लगभग 18-20 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें कुछ शव पत्थर के कारण बुरी तरह कुचले गये थे, जिन्हें बाद में प्लास्टिक के थैलों में इक्टा किया गया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के ऊपर से चट्टानों को काटने का कार्य भी किया। परन्तु बाद में यह कार्य बन्द कर दिया गया। क्या सड़क के ऊपर ओवर हॉग/हॉफ-टनल होते हैं, वह सड़क निर्माण के मापदण्ड के अनुसार उचित नहीं होते हैं, और कटिंग का यह कार्य किन कारणों से बन्द करवाया गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त जाम की समस्या भून्तर से मनीकर्ण तक है। परन्तु यह समस्या कसोल से मनीकर्ण तक अधिक है। पर्यटक गर्मियों में कसोल में ही अधिक रुकते हैं, इसलिए पर्यटन समय के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी की कसोल से मनीकर्ण तक उचित व्यवस्था हो और कसोल से 100 मीटर पहले से लेकर मनीकर्ण, जहाँ पर बरशैणी रोड़ मिलता है, में वाहनों को खड़ा करने न दिया जाए।</p> | |
| दिनांक 15 जुलाई, 2015 की जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में पारित प्रस्ताव बारे:- | | | | |
| 52 | उपाध्यक्षा जिला परिषद | परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू | <p>प्रश्न संख्या:-01 / 15.07.2015 मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि के आवंटन हेतु शैल्फ का अनुमोदन बारे:-</p> <p>मान्नीय उपाध्यक्षा महोदय द्वारा चाहा गया कि मनरेगा का शैल्फ का अनुमोदन शीघ्र अति शीघ्र किया जाए।</p> | श्रीमती प्रेमलता मान्नीय सदस्य जिला परिषद एवं श्री हितेश्वर सिंह, मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा मनरेगा का शैल्फ प्राक्कलन सहित प्रस्तुत किया गया इसके अतिरिक्त अन्य जिला परिषद पदाधिकारियों से गत वर्ष से मनरेगा का शैल्फ प्राक्कलन सहित प्राप्ति हेतु अनुरोध किया जा रहा है लेकिन आज दिनांक तक मनरेगा का शैल्फ प्राक्कलन सहित प्रस्तुत नहीं किए गए। |
| 53 | श्री ओम प्रकाश शर्मा, मान्नीय सदस्य जिला परिषद | उपायुक्त कुल्लू | <p>प्रश्न न0 :-02 / 15.07.2015</p> <p>सदन में मान्नीय सदस्य जिला परिषद द्वारा पूछा गया कि एल0ए0डी0 के अन्तर्गत प्राप्त मु0 141 करोड़ की धनराशि की विस्तृत जानकारी दें तथा क्या इस राशि के आवंटन हेतु पंचायत प्रस्ताव या सामान्य बैठक/सदन की सहमति की आवश्यकता है या नहीं अवगत करवाएँ ?</p> | इस कार्यालय के पत्र संख्या 1001 दिनांक 29.6.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |
| 54 | श्री दिनेश सेन, मान्नीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू | अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल-2 | <p>प्रश्न न0:-03 / 15.07.2015</p> <p>सदन में मान्नीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि दिनांक 06.03.2012 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 08 के अन्तर्गत कुल्लू से लगघाटी सड़क को शीशामाटी क्षेत्र में वाईपास किए जाने की योजना बारे में विस्तृत जानकारी देने सम्बन्धित प्रश्न था लेकिन बड़े खेद का विषय है कि 2 वर्ष 6 माह के पश्चात भी आज दिनांक तक इस सम्बन्ध में कार्य नहीं हुआ क्यों ? इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाये ।</p> | इस कार्यालय के पत्र संख्या 999 दिनांक 29.6.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------|---|---|
| 55 | श्री दिनेश सेन, माननीय सदस्य जिला परिषद कुल्लू | जिला पर्यटन अधिकारी, कुल्लू | <p>प्रश्न न०:-04 / 15.07.2015</p> <p>सदन में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया कि पर्यटन सीजन के दौरान मनाली से लेकर रोहतॉग तक प्रतिदिन टैफिक जाम के कारण स्थानिय निवासियों पर्यटकों तथा लाहौल स्पिति पांगी व लेह की ओर आने-जाने वालों को बहुत ही कठनाईयों का समाना करना पड़ता है। जिसका मुख्य कारण है कि इस ओर पर्यटकों की भारी आवाजाही का होना। जबकि कुल्लू घाटी के साथ ला कुल्लू में उनके दर्शनिय एवं सुन्दर स्थान है। इन स्थान को यदि पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए तो उससे सर्वप्रथम तो मनाली की ओर यातायात का भार कत हो जाएगा तथा दूसरी ओर जिला में दूसरे स्थान भी इससे लाभान्वित होंगे। क्या पर्यटन विभाग की ओर से इसका कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है ? विवरण देने की कृपा करें।</p> | <p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 999 दिनांक 29.6.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 56 | श्री हितेश्वर सिंह, माननीय सदस्य जिला परिषद | जिला खनन अधिकारी, कुल्लू | <p>प्रश्न न० 05 / 15.7.2015</p> <p>क. एन0एच0पी0सी0 चरण द्वितीय तथा तृतीय चरण में 30 जून, 2015 तक कितने विस्थापियों और प्रभावितों को स्थायी रोजगार प्रदान किया, उनका नाम व पूरा पता, परियोजना बनने से पहले इन लोगों के पास कितनी जमीन थी, कितनी जमीन परियोजना में लगी और कितनी जमीन बकाया बची भविष्य में कितने लोगों को स्थायी रोजगार देने की योजना है, हाल ही में परियोजना प्रबन्धन व सरकार के बीच जो बैठक हुई, उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई, उपरोक्त लिखित सभी चीजों का ब्योरा दिया जाए ?</p> <p>ख. गड़सा घाटी में जो तीन नाले, जिसमें हुरला नाला, मनीहार नाला, पांचा नाला है, पार्वती परियोजना के लिए परिवर्तित करने है, इननालों में कितना क्युसिक पानी है, परिवर्तित होने के बाद इन नालों में कितना क्युसिक पानी शेष रहेगा। कल दिन यदि इस गड़सा घाटी में पीने के पानी का सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ती है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा ?</p> <p>ग. स्ट्रोवैग कम्पनी द्वारा जो केशर सोलंगनाला में चलाया जा रहा है, उसके लिए पतर कहां से आ रहे हैं, तथा सीमा सड़क संगठन के पास अभी कितनी माईनिंग लीजें है, सभी का विवरण दें ?</p> | <p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 1025 दिनांक 03.07.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |
| 57 | श्री | प्रबन्धक एन0एच0पी0 सी0-2 कुल्लू | <p>प्रश्न न०: 06 / 15.07.2015</p> <p>क. एन0एच0पी0सी0 चरण द्वितीय तथा तृतीय चरण में 30 जून, 2015 तक कितने विस्थापियों और प्रभावितों को स्थायी रोजगार प्रदान किया, उनका नाम व पूरा पता, परियोजना बनने से पहले इन लोगों के पास कितनी जमीन थी, कितनी जमीन परियोजना में लगी और कितनी जमीन बकाया बची भविष्य में कितने लोगों</p> | <p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 1025 दिनांक 03.07.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | <p>को स्थायी रोजगार देने की योजना है, हाल ही में परियोजना प्रबन्धन व सरकार के बीच जो बैठक हुई, उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई, उपरोक्त लिखित सभी चीजों का ब्यौरा दिया जाए ?</p> <p>ख. गड़सा घाटी में जो तीन नाले, जिसमें हुरला नाला, मनीहार नाला, पांचा नाला है, पार्वती परियोजना के लिए परिवर्तित करने है, इननालों में कितना क्युसिक पानी है, परिवर्तित होने के बाद इन नालों में कितना क्युसिक पानी शेष रहेगा। कल दिन यदि इस गड़सा घाटी में पीने के पानी का सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ती है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा ?</p> <p>ग. स्ट्रोवैग कम्पनी द्वारा जो क्लेशर सोलंगनाला में चलाया जा रहा है, उसके लिए पत्र कहां से आ रहे हैं, तथा सीमा सड़क संगठन के पास अभी कितनी माईनिंग लीजें है, सभी का विवरण दें ?</p> | |
| 58 | श्रीमती कीर्ति शौरी, माननीय सदस्या जिला परिषद | सचिव कृषि उत्पाद मण्डी समिति कुल्लू | <p>प्रश्न न० 06/15.07.2015</p> <p>बन्जार में सब्जी मण्डी के विषय में भूमि का चयन हो गया हो चुका है या नहीं ? यह अवगत करवाएँ कि पिछले 10 वर्षों से विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत जानकारी दें ?</p> | <p>कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू व लाहौल द्वारा दमोटी नामक स्थान पर स्थानीय निवासी से 9 दुकाने किराये पर ली गयी। इन दुकानों में किसानों को विपणन की सुविधा दी जा रही है। उपरोक्त जगह सब्जी मण्डी के लिए कम पड़ती है, क्योंकि साथ में सड़क है जिससे जाम की समस्या हो जाती है। वर्ष 2011 में मंगलौर नामक स्थान पर निजी भूमि पर सब्जी मण्डी की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था। परन्तु स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वहाँ पर सब्जी मण्डी का निर्माण नहीं करवाया जा सका।</p> <p>वर्ष 2011 में मण्डी समिति द्वारा उपमण्डाधिकारी नागरिक बन्जार से वन विभाग की भूमि जिस पर नर्सरी तैयार की जाती है को सब्जी मण्डी बनाने हेतु, कृषि विभाग के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु आवेदन किया गया। लगभग 4 वीघा वन विभाग की भूमि के राजस्व दस्तावेज प्राप्त किए गये हैं। इस उपरोक्त भूमि को कृषि विभाग के नाम हस्तान्तरित करने हेतु कार्यवाही भी चलाई गयी थी। दिनांक 17.12.2013 को प्रबन्ध निदेशक हि०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने नत्र सं० एच०एम०वी० ई०सी०-143/2010/10239 के अन्तर्गत सूचित किया कि भविष्य में नई सब्जी मण्डी के निर्माण के लिए कम से कम 15 वीघा भूमि अनिवार्य है।</p> <p>इस मण्डी के विस्तार के लिए दिनांक 29.10.2013 को उपरोक्त दुकानों के साथ लगती 2.00 वीघा निजी भूमि खरीदने के लिए तहसीलदार बन्जार की अध्यक्षता में 2.00 वीघा निजी भूमि खरीदने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त भूमि के लिए भू मालिकों द्वारा 85 लाख रुपये की मांग की गयी थी। उपरोक्त भूमि को खरीदने के लिए विपणन बोर्ड से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती मांगी गयी थी, जिसके सन्दर्भ में विपणन बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि नई सब्जी</p> |

| | | | | |
|----|---|-------------------------------|--|--|
| | | | | <p>मण्डी की स्थापना हेतु कम से कम 15 वीघा सरकारी भूमि का चयन किया जाए। बन्जार की भौगोलिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए इस क्षेत्र में 15 वीघा भूमि एक स्थान पर मिलना मुश्किल है। विपणन बोर्ड से 15 वीघा भूमि की शर्त को रिलेक्स करने हेतु आग्रह किया गया है। सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु वन विभाग की नर्सरी के साथ लगती लगभग 4 वीघा भूमि को कृषि विभाग के नाम हस्तान्तरित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।</p> |
| 59 | श्रीमती कीर्ति शौरी, माननीय सदस्या जिला परिषद | मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू | <p>प्रश्न न0 07 / 15.07.2015</p> <p>बन्जार में निर्माणाधिन अस्पताल के भवन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दें कि यह नया भवन का कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ? बन्जार उपमण्डल में डाक्टरों के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं ? इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दें ।</p> | <p>इस कार्यालय के पत्र संख्या 1028 दिनांक 06.07.2015 के अन्तर्गत सूचित किया गया है लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</p> |

पृ0सख्या:—
प्रतिलिपि:—

सचिव,
जिला परिषद् कुल्लू,
जिला कुल्लू हि0प्र0।
दिनांक जुलाई, 2015

उपरोक्त समस्त अधिकारियों को उपरोक्त के सन्दर्भ में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव,
जिला परिषद् कुल्लू,
जिला कुल्लू हि0प्र0।

